पंचायत आम निर्वाचन
अनुदेश क्रमांक–02

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / पंचा.–03 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / **378** अटल नगर, **दिनांक 09 / 09 / 2019**

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– **त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019–20 हेतु परिसीमन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण हेतु संशोधित समय सारणी भेजने बाबत्।**

संदर्भ :– **विभाग का पत्र क्रमांक / पंचा. / पंग्राविवि / 22 / 2019 / 372, दिनांक 09.09.2019**

–– 00 ––

कृपया संदर्भित अनुदेश क्रमांक–01 अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित अनुदेश क्रमांक–01 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 हेतु परिसीमन वार्ड एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण बाबत् समय–सारिणी भेजी गई है। उक्त समय–सारिणी में छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संशोधन कर, संशोधन की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जाकर आपकी ओर भेजी जा रही है। आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 की उक्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में प्रावधानों के अनुसार करें।

कृपया त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन हेतु संलग्न **"संशोधित समय–सारिणी"** के अनुसार वर्ष 2019–20 हेतु परिसीमन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्न :– **संशोधित समय–सारिणी।**

9/9/19
(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक / पंचा.–03 / पंग्राविवि / 22 / 2019 / **379** अटल नगर, **दिनांक 09 / 09 / 2019**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

Scanned by CamScanner

3. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

२/१/१९

उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2019–20 हेतु परिसीमन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण हेतु संशोधित समय–सारणी

क्र.	विषय / संक्षेपिका	प्रस्तावित तिथि	कार्य का निष्पादन किसके द्वारा किया जाना है
1	*2*	*3*	*4*
1.	ग्राम पंचायतों के परिसीमन हेतु प्रारंभिक तैयारी।	11.09.2019 से 15.09.2019 तक	अनुविभागीय अधि. (रा.)/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
2.	वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कलेक्टर कार्यालय में)।	16.09.2019	कलेक्टर
3.	ग्राम पंचायत परिसीमन हेतु दावा/आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	25.09.2019	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4.	प्रथम प्रकाशन का दावा आपत्ति का निराकरण एवं कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजना।	26.09.2019 से 27.09.2019 तक	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5.	दावा आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन तथा ग्राम पंचायतों का नजरी नक्शा तैयार करना। (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कलेक्टर कार्यालय में प्रकाशन)	28.09.2019	कलेक्टर
6.	ग्राम पंचायतों का राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जाना।	04.10.2019 तक	कलेक्टर
7.	ग्राम पंचायतों का संख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार किया जाना।	10.10.2019 तक	कलेक्टर
8.	राजस्व जिले के अनुसार जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन।	30.09.2019	कलेक्टर
9.	जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा आपत्ति प्राप्त कर, निराकरण करना।	07.10.2019 तक	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/कलेक्टर

P

Scanned by CamScanner

क्र.	विषय/संक्षेपिका	प्रस्तावित तिथि	कार्य का निष्पादन किसके द्वारा किया जाना है
1	*2*	*3*	*4*
10.	जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन तथा जिला/जनपद पंचायत के क्षेत्र निर्धारण का नजरी नक्शा सहित तैयार करना।	10.10.2019	कलेक्टर
11.	जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार कर, शासन को भेजा जाना।	11.10.2019 तक	कलेक्टर
12.	जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाना।	11.10.2019	संचालक, पंचायत
13.	जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन।	05.11.2019	संचालक, पंचायत
14.	जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण कार्यवाही एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।	18.11.2019	संचालक, पंचायत
15.	ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही हेतु सूचना का प्रकाशन।	06.11.2019	कलेक्टर
16.	ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही।	23.11.2019 तक	कलेक्टर
17.	ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।	24.11.2019	कलेक्टर

9/9/19

उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner